Australian Government
Department of Human Services

ऑस्ट्रेलिया और भारत गणराज्य की बीच सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) समझौता

ऑस्ट्रेलिया का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम

ऑस्ट्रेलिया का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अधिकांश अन्य विकसित देशों से अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की पेंशन ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा व्यक्तियों और नियोक्ताओं द्वारा सोशल इंश्योरेंस फंड में योगदानों का भुगतान किए जाने की बजाए सामान्य निधि में से दी जाती है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलियाई पेंशनें पर आय और संपत्ति परीक्षण लागू होता है।

Department of Human Services व्यक्तियों को ऑस्ट्रेलियाई सोशन सिक्योरिटी भुगतान करता है।

यदि आप ऑस्ट्रेलियाई पेंशन क्लेम करना चाहते/चाहती हैं तो आपके लिए यह ज़रूरी होगा कि आप हमें अपनी सभी – और कुछ मामलों में – अपने पार्टनर (सहजीवी) की आय और संपत्तियों[1] के बारे में बताएँ।

समझौता आपकी सहायता कैसे करता है?

समझौता के कारण आप दोनों में से किसी भी देश से भुगतान का क्लेम कर सकते/सकती हैं या यदि आप इस एक देश से दूसरे देश स्थानांतरण करते/करती हैं तो आप अपना भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। यदि ज़रूरी हुआ तो, समझौता आपको ऑस्ट्रेलिया[2] में निवास करने की विशिष्ट अवधियों और भारत में निवास करने की विशिष्ट अवधियों को जोड़ने की अनुमति दे सकता है, ताकि आपको दोनों देशों से भुगतान प्राप्त करने की पात्रता मिलने में सहायता मिल सके।

ऑस्ट्रेलियाई भुगतान किसे प्राप्त हो सकता है?

Age Pension

यदि आपकी आयु पात्र आयु से अधिक है (विवरण के लिए **humanservices.gov.au/agepension** देखें), तो हो सकता है कि आप समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई आयु पेंशन प्राप्त करने योग्य हो सकें।

यदि क्लेम करते समय आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह रहे/रही हैं, तो यह ज़रूरी है कि 16 नवम्बर 1995 और Age Pension के लिए पात्र आयु के बीच आपका कम से कम 12 महीने की Australian Working Life Residence[2] (ऑस्ट्रेलियाई कामकाजी जीवन के दौरान निवास) अवधि हो।

यदि किसी भी समय ऑस्ट्रेलिया में आपके रहने की कुल अवधि और/या भारत में इंश्योरेंस की आपकी अवधियों का जोड़ 10 वर्ष से अधिक हो जाता है तो आप Age Pension प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं। भारत में केवल 1 जनवरी 2016 के बाद की इंश्योरेंस अवधियों का ही प्रयोग किया जा सकता है।

यदि आपको 10 वर्ष पूरे करने के लिए 1 जनवरी 2016 के बाद भारत में इंश्योरेंस की अपनी किन्हीं अवधियों का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यह भी ज़रूरी है कि 16 नवम्बर 1995 और 58 वर्ष की आयु के बीच आपकी कम से कम 12 महीने (छः महीने निरंतर) की Australian Working Life Residence[2] अवधि हो।

इससे पहले कि आपको भुगतान किया जा सके आपके लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी हो सकता है।

भारतीय भुगतान किसे प्राप्त हो सकता है?

समझौते के तहत, आप Indian Retirement Pension, Permanent Total Disability Pension or Survivor Pension के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई में निवास की विशिष्ट अवधियों और भारत में इंश्योरेंस की अपनी अवधियों को जोड़ सकते/सकती हैं। केवल 1 जनवरी 2016 और 58 साल की आयु के बीच की Australian Working Life Residence[2] अवधियों का ही प्रयोग किया जा सकता है।

भारतीय भुगतानों के बारे में सभी निर्णय भारतीय पेंशन प्राधिकरण लेते हैं। भारतीय भुगतानों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, आपको भारतीय पेंशन प्राधिकरण[3] से संपर्क करना चाहिए।

मैं क्लेम कैसे करूँ?

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो:

- समझौते के तहत Australian Age Pension का क्लेम करने के लिए **humanservices.gov.au/international** देखें या विभाग[4] से संपर्क करें
- भारतीय भुगतान का क्लेम करने के लिए, विभाग[4] से संपर्क करें।

आप अपना संपूर्ण क्लेम अपने नजदीकी सेवा केन्द्र पर जमा करा सकते/सकती हैं।

यदि आप भारत में हैं तो:

- भारतीय भुगतान का क्लेम करने के लिए, भारतीय पेंशन प्राधिकरण[3] से संपर्क करें
- ऑस्ट्रेलियाई भुगतान का क्लेम करने के लिए:
    - **humanservices.gov.au/forms** से *Claim for Australian Pension from another country* फॉर्म का भारतीय संस्करण डाउनलोड करें
    - विभाग[4] से संपर्क करें, या
    - भारतीय पेंशन प्राधिकरण से संपर्क करें।

आप अपना संपूर्ण क्लेम Indian pension authority के अपने स्थानीय कार्यालय में जमा करा सकते/सकती हैं।

ऑस्ट्रेलियाई भुगतानों के लिए क्लेम 13 सप्ताह पहले तक जमा कराए जा सकते हैं। यह ज़रूरी है कि आप अपना क्लेम और सभी सहायक दस्तावेज़ एक साथ जमा कराएँ। यदि आप ऐसा नहीं करते/करती हैं तो हो सकता है कि आपका क्लेम स्वीकार न किया जाए।

और अधिक जानकारी के लिए

यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको हमसे[4] संपर्क करना चाहिए।

अस्वीकरण

इस प्रकाशन में शामिल जानकारी का उद्देश्य केवल भुगतानों और सेवाओं के लिए संदर्शिका प्रदान करना है।

इस तथ्य-पत्र मं शामिल जानकारी जुलाई 2017 तक सही है। यदि आप इस दिनांक के बाद इस प्रकाशन का प्रयोग करते/करती हैं तो कृपया विभाग से यह जांच लें कि विवरण नवीन हैं।

क्या मुझे क्लेम जमा कराना चाहिए?

हम तब तक इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि आपको भुगतान मिलेगा या नहीं, जब तक आप क्लेम जमा नहीं करा देते/देती हैं और आपकी परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाता है। यह निर्णय लेना आपकी जिम्मेदारी है कि क्या आप भुगतान के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के संबंध में आवेदन करना चाहते हैं या नहीं।

भुगतान किस तिथि से उपलब्ध हैं?

अधिकांश सरकारी भुगतान उस तिथि से या इसके पश्चात से किए जाते हैं जब आवेदन किया गया हो, इसलिए आप जितनी जल्दी अपना आवेदन जमा कराते/कराती हैं, उतनी जल्दी ही आपको भुगतान किया जा सकता है।

ऑस्ट्रेलियाई भुगतानों के लिए, यह ज़रूरी है कि आप अपना क्लेम और सभी सहायक दस्तावेज़ एक साथ जमा कराएँ। यदि आप ऐसा नहीं करते/करती हैं तो हो सकता है कि आपका क्लेम स्वीकार न किया जाए।

किसी तृतीय पक्ष के साथ लेनदेन करते समय आपको क्या करने की ज़रूरत है?

आप किसी ऐसे तृतीय पक्ष के साथ लेनदेन कर सकते/सकती है जो हमारे स्टॉफ का सदस्य नहीं है। यदि आप ऐसा करते/करती हैं, तो कृपया यह याद रखें कि हमने किसी तृतीय पक्ष को भुगतानों के बारे में जानकारी या सलाह प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया है।

टिप्पणियाँ

1. पार्टनर की परिभाषा	हमारे उद्देश्यों के लिए, किसी व्यक्ति को आपका पार्टनर (सहजीवी) उस परिस्थिति में माना जाता है जब आप और वह व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं, या आम-तौर पर इकट्ठे रहते हैं; विवाहित हैं, किसी रजिस्टर्ड रिश्ते (विपरीत-लिंगी या समान-लिंगी) में हैं, या डि फेक्टो रिश्ते (विपरीत-लिंगी या समान-लिंगी) में हैं। विभाग किसी व्यक्ति को उस समय से डि फेक्टो रिश्ते से जुड़ा मानता है जब वह दम्पत्ति के सदस्य के तौर पर दूसरे व्यक्ति के साथ रहना शुरू करता है। विभाग सभी दंपत्तियों की पहचान करता है, चाहे वे विपरीत-लिंगी हों या समान-लिंगी।

2.	**ऑस्ट्रेलियाई निवास**	‘ऑस्ट्रेलियाई निवास’ का अर्थ उन अवधियों से है जिनमें आपने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या ऑस्ट्रेलियाई परमानेंट वीज़ा धारक के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में निवास किया है। किसी भी समय ऑस्ट्रेलियाई निवास का प्रयोग ऑस्ट्रेलियाई भुगतान के पात्र होने के लिए किया जाता है। केवल 16 साल की आयु और पेंशन आयु के लिए ऑस्ट्रेलियाई आयु के बीच ऑस्ट्रेलियाई निवास की अवधि/यों को ‘Working Life Residence’ कहते हैं। भारत के साथ समझौते के तहत, Australian Working Life Residence (ऑस्ट्रेलियाई कामकाजी जीवन के दौरान निवास) केवल 16 नवम्बर 1995 के बाद की अवधियों के लिए ही सीमित है। समझौते में विशिष्ट प्रावधानों के लिए अन्य सीमाएँ हो सकती हैं।
3.	**भारतीय संपर्क विवरण**	**Employees' Provident Fund Organisation, Head Office** **Bhavishya Nidhi Bhawan** **14, Bhikaji Cama Place** **New Delhi 110066** **INDIA**
4.	**Department of Human Services के संपर्क विवरण**	**humanservices.gov.au** पर जाएँ ऑस्ट्रेलिया से **131 673** पर फोन करें। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से फोन कर रहे/रही हैं, तो Department of Human Services, International Services (मानव सेवा विभाग, अंतरराष्ट्रीय सेवाएँ) को सीधे सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे (AEST) के बीच **Freecall™ 000 800 61 01098** पर फोन करें। हो सकता है कि यह सेवा भारत में सभी स्थानों से उपलब्ध न हो। यदि यह सेवा उपलब्ध नहीं है, तो Department of Human Services को **+61 3 6222 3455** पर फोन करें। इस समय के बाहर, आप हमारी ऑनसरिंग मशीन पर संदेश छोड़ पाएंगे और हम आपको वापिस फोन करेंगे। कृपया अपना नाम, अपना Centrelink Customer Reference Number (CRN) और अपना टेलीफोन नम्बर (कंट्री और एरिया कोड सहित) छोड़ें। **ध्यान दें:** कॉल शुल्क लागू हैं – मोबाइल फोन से की जाने वाली कॉल्स पर उच्च दर पर शुल्क लागू हो सकता है। फैक्स **+61 3 6222 2799** डाक: **GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia**

Australian Government
Department of Human Services

Social Security Agreement between Australia and the Republic of India

Australia's social security system

Australia's social security system is different from that in most other developed countries. Each person's pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason, Australian pensions are income and asset tested.

The Department of Human Services delivers Australian social security payments to individuals.

You will have to tell us about all of your—and in some instances—your partner's[1] income and assets if you want to claim an Australian pension.

How does the agreement help you?

The agreement may let you claim a payment from either country or continue to receive your payment if you move between countries. If necessary, the agreement may allow you to combine specific periods of residence in Australia[2] and specific periods of insurance in India, to help you qualify for payments from both countries.

Who can get an Australian payment?

Age Pension

If you are over the qualifying age (refer to **humanservices.gov.au/agepension** for details), you may be able to get Australian Age Pension under the agreement.

If you are not living in Australia when you make a claim, you must have a period of at least 12 months of Australian Working Life Residence[2] between 16 November 1995 and the qualifying age for Age Pension.

You may be able to get Age Pension if the total period of time you have lived in Australia at any time and/or your periods of insurance in India add up to more than 10 years. Only periods of insurance in India after 1 January 2016 may be used.

If you need to use any of your periods of insurance in India after 1 January 2016 to meet the 10 years, you must also have a period of at least 12 months (six months continuously) of Australian Working Life Residence[2] between 16 November 1995 and age 58.

There may be additional requirements you need to meet before you can be paid.

Who can get an Indian payment?

Under the agreement, you can combine specific periods of residence in Australia and your periods of insurance in India to meet the minimum requirement for Indian Retirement Pension, Permanent Total Disability Pension or Survivor Pension. Only periods of Australian Working Life Residence[2] between 1 January 2016 and age 58 may be used.

The Indian pension authorities make all decisions about Indian payments. For more information about Indian payments, you should contact the Indian pension authority[3].

How do I claim?

If you are in Australia:

- to claim an Australian Age Pension under the agreement, visit **humanservices.gov.au/international** or contact the department [4]
- to claim an Indian payment, contact the department[4]**.**

You can lodge your completed claim at your nearest service centre.

If you are in India:

- to claim an Indian payment, contact the Indian pension authority[3]
- to claim an Australian payment:
    - download the Indian version of the C*laim for Australian Pension from another country* form from **humanservices.gov.au/forms**
    - contact the department [4], or
    - contact the Indian pension authority.

You can lodge your completed claim at your local office of the Indian pension authority.

Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early. You must lodge your claim and all supporting documents at the same time. If you do not do this your claim may not be accepted.

For more information

If you would like more information you should contact us[4].

Disclaimer

The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.

The information in this factsheet is accurate as at July 2017. If you use this publication after that date, please check with the department that the details are up to date.

Should I lodge a claim?

We can't be sure if you will get a payment until you lodge a claim and your circumstances are taken into account. It's your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with regard to your particular circumstances.

From what date are the payments available?

Most government payments are paid from or after the date on which the application is made so the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid.

For Australian payments, you must lodge your claim and all supporting documents at the same time. If you don't your claim may not be accepted.

What do you need to do when dealing with a third party?

You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about payments.

Notes

1. Definition of a partner	For our purposes, a person is considered to be your partner if you and the person live together, or usually live together; are married, in a registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto relationship (opposite or same-sex). The department considers a person to be in a de facto relationship from the time they start living with another person as a member of a couple. The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex.
2. Australian residence	'Australian residence' means periods when you were residing in Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder. Australian residence at any time is used to qualify for an Australian payment. 'Working Life Residence' is the period/s of Australian residence between the ages of 16 and Australian age pension age only. Under the agreement with India, Australian Working Life Residence is limited to only periods after 16 November 1995. There may be other limitations for specific provisions in the agreement.

3. Indian contact details	**Employees' Provident Fund Organisation, Head Office** **Bhavishya Nidhi Bhawan** **14, Bhikaji Cama Place** **New Delhi 110066** **INDIA**
4. Department of Human Services contact details	Go to **humanservices.gov.au** Call **131 673** from within Australia. If calling from outside Australia, call the Department of Human Services, International Services direct on **Freecall™ 000 800 61 01098** between 8.00 am and 5.00 pm (AEST), Monday to Friday. This service may not be available from all locations in India. If this service is not available, call the Department of Human Services on **+61 3 6222 3455**. Outside of these times, you will be able to leave a message with our answering service and we will return your call. Please leave your name, your Centrelink Customer Reference Number (CRN) and your telephone number (including country and area codes). **Note:** call charges apply—calls from mobile phones may be charged at a higher rate. Fax **+61 3 6222 2799** Write to **GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia**.